–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 49/2021

उनवान

1. शकुन्तला देवी पत्नी सीताराम गोयल
2. सुनिल गोयल पुत्र सीताराम गोयल
3. अनिल गोयल पुत्र सीताराम गोयल समस्त जाति अग्रवाल निवासी ग्राम गांधी चौक, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. रामधन पुत्र मांगू जाति जाट निवासी देराठू, नसीराबाद
2. राज. सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :–1 जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली
2. जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :– 17.7.25

–: आदेश :–

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू में स्थित निम्न आराजी प्रार्थीगण की क्रयशुदा खातेदारी/काश्तकारी की है।

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
3992 मिन	3–6–10	1526	0.54
3992 मिन	8–15–0	1527 मिन	1.68
3993	9–5–0	5727	0.15
		5728	0.10
		1522	1.00

उपरोक्त आराजी वंर्किग खसरा नम्बर 3992 व 3993 की भूमि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 16.03.2005 व 27.08.09 व 20.07.15 को जरियें विक्रय पत्र क्रय की थी तथा 18.03.205 को जरियें इकरारनामा भी भूमि क्रय की थी। क्रय दिनांक से ही प्रार्थीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। हाल खसरा नम्बर 1527/7809 व 1527 प्रार्थीगण के नाम सही अंकित कर दिया किन्तु हाल खसरा नम्बर 1527 रकबा 0.34 में से 1/6 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम व हाल खसरा नम्बर 1522 रकबा 1.00 व 5727 रकबा 0.15 विक्रय पत्र के अनुसार प्रार्थीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक अंकित कर दिया। राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज दर्ज करने के कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः [illegible] को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 जरियें अधिवक्ता उपस्थित हुए किन्तु [illegible] समुचित अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नही किये जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब बंद किया गया। राज.

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:34:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 1526 रकबा 0.54 प्रार्थी संख्या 1 व के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 1527 रकबा 0.34 पर 5/6 हिस्सा प्रार्थी संख्या 2 व शेष 1/6 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। हाल खसरा नमबर 1527 के इन्द्राज को प्रार्थीगण द्वारा त्रुटिपूर्ण बताया गया है किन्तु आराजी मुतनाजा के वंर्किग जमाबंदी व विक्रय पत्र प्रार्थीगण द्वारा पेश नही किये गये है। हाल खसरा नम्बर 1522 रकबा 1.00 व 5727 रकबा 0.15 का विक्रय पत्र व साबिक राजस्व अभिलेख भी प्रार्थीगण द्वारा पेश नही किया गया है। हाल खसरा नम्बर 1522 व 5727 कभी भी प्रार्थीगण/पूर्वज के नाम खातेदारी दर्ज नही रहा है। ऐसी स्थिति में पूर्व राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र के अभाव में वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण नही कहा जा सकता है। विक्रय पत्र व साबिक राजस्व अभिलेख के अभाव में मात्र मौखिक कथनों के आधार पर हाल इन्द्राज को प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण नही माना जा सकता है। **अतः** प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :–

विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। भूमि के विक्रय पत्र व पूर्व राजस्व अभिलेख के तथ्य प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नही किया है। सिवायचक आराजी पर बिना किसी ठोस कारण के अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :–

न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम देराठू की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:34:07 IST
Reason: SelfAttested